# झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

## संकल्प

राँची, दिनांक-05/07/2018

संख्या-5/आरोप-1-12/2018-921 (HRMS)/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1100, दिनांक-22.11.2017 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक-22.11.2017 को आयोजित विडियो कांफ्रेसिंग में निर्धारित समय (10:00 बजे) से उपस्थित नहीं होने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये ।

2. उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-12311, दिनांक-16.12.2017 द्वारा श्री ठाकुर से स्पष्टीकरण पूछा गया ।

3. श्री ठाकुर के पत्रांक-1919, दिनांक-26.12.2017 द्वारा उपायुक्त, देवघर के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें कहा गया कि उक्त विडियो कांफ्रेसिंग में दिनांक-26.11.2017 को भाग लेने हेतु वे पूर्वाहन 09:55 बजे से देवघर के समाहरणालय सम्मेलन कक्ष में उपस्थित थे। विडियो कांफ्रेसिंग हेतु मंत्रालय से कनेक्ट होने के बाद देवघर जिलान्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से संबंधित समीक्षा के दौरान सभी वांछित भौतिक/वित्तीय प्रतिवेदन से मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि को अवगत कराया गया तथा सभी पृच्छा का समुचित उत्तर दिया गया। उक्त विडियो कांफ्रेसिंग के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली से जुड़ने हेतु NIC, Jharkhand, Ranchi के परामर्श के अनुसार संबंधित मंत्रालय के अधिकृत VC ID कनेक्ट होने के क्रम में Technical fault के कारण लगभग 10 मिनट का विलंब हुआ था, जिस कारण स्थानीय विडियो कांफ्रेसिंग हॉल में समीक्षा हेतु उपस्थित रहने के बावजूद मंत्रालय से देवघर जिला 10 मिनट के पश्चात् ही जुड़ सका, जिसे इनके विलंब से उपस्थित होने का मामला माना जा रहा है।

4. उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-1920, दिनांक-26.12.2017 द्वारा श्री ठाकुर के स्पष्टीकरण को अग्रसारित करते हुए मंतव्य दिया गया कि श्री ठाकुर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथ्यात्मक एवं साक्ष्य आधारित है। अतः Video Conferencing Connectivity हेतु आकस्मिक Technical fault के कारण उत्पन्न परिस्थितिजन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए इन्हें आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की जाती है।

5. विभागीय पत्रांक-1292, दिनांक-16.02.2018 द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड से उपायुक्त, देवघर के प्रतिवेदन पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके अलोक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2310, दिनांक-31.05.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गए मंतव्य में श्री ठाकुर को आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

6. श्री ठाकुर के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण, उपायुक्त, देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, उपायुक्त, देवघर एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री जन्मजेय ठाकुर, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, देवघर को आरोप मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है।

| Sr No. | Employee Name G.P.F. No. | Decision of the Competent authority |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | J.THAKUR BHR/BAS/1492 | श्री जन्मजेय ठाकुर, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, देवघर को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1100, दिनांक-22.11.2017 द्वारा गठित आरोपों से मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है. |

..

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

( सतीश कुमार जायसवाल )
सरकार के उप सचिव
जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007

ज्ञापांक-5/आरोप-1-12/2018-921 (HRMS)/राँची दिनांक-05/07/2018

नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय अपर मुख्य सचिव कोषांग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/ श्री जन्मजेय ठाकुर, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, पता-पोखना टीलहा, भरत कुटीर के निकट, पो०-हिन्दी विद्यापीठ, थाना-देवघर, पिन-814112 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-5/आरोप-1-12/2018-921 (HRMS)/राँची दिनांक-05/07/2018

विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा-6/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

Prepared By:- SHRI SATYAM BHARDWAJ - ( 110093431070 )